राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 17575- 17768 दिनांक :– 24.4.19

अति-आवश्यक

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः–ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ(bye laws), 2019
संदर्भः– श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 10.04.2019 को दिए गए निर्देशों की पालना में।

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशों की पालना में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विरचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (e), (f), (zf) एवं (zg) के उपखण्ड (ix) के अंतर्गत उपविधियां विरचित नहीं की गई हैं यतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सपठित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उप–धारा (4), धारा 339 और 340 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, जनहित में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्रो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु राजस्थान नगरपालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ(bye laws), 2019 विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)(ठोस अपशिष्ट) नियम /डीएलबी/19/26213 जयपुर दिनांक 12/4/2019 को जारी किए जा चुके है। जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रत्येक निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुपालना में तथा माननीय एनजीटी द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में राजस्थान नगरपालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ(bye laws), 2019 की अक्षरशः पालना की जानी आवश्यक है। जिससे की निकायों में ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन हो सके।उपविधियों में अंकित यूजर चार्जेज एवं शहर को गंदा करने वालों से वसूले जाने वाले फाइन का विस्तृत विवरण अंकित है जिसके अनुसार प्रत्येक निकाय अपने–अपने क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अविलम्ब अवगत करावें।

संलग्नः– राजस्थान नगरपालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ(bye laws), 2019

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 19/ 17769 – 17829 दिनांक :– 24.6.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग।
3. निजी सचिव,शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
7. सचिव, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल।
8. जिला कलेक्टर, समस्त।
9. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
11. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
12. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
13. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

24/6/19

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता